

कायोलय अंचल आधिकारी, कोडरमा
विविध वाद सं० ...५५.../२०१७-१८

राजेन्द्र सिंह,
पिता- स्व० कुंवर सिंह,
साकिन- तिलैया बस्ती

१५.०८.२०१७

श्री राजेन्द्र सिंह, स्व कुंवर सिंह, साकिन- तिलैया बस्ती, वार्ड नं०- ०३, थाना- तिलैया, पो० झुमरी तिलैया, जिला- कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि 'मौजा- तिलैया, थाना नं० २४४ जिसका खाता सं० ७९७ है, जो मेरा खतियानी जमीन है, जिसका पूर्व में जमाबंदी पंजी II के पेज सं० १२८/३ पर चल रहा था, फट जाने के कारण मुझे आवश्यक कार्य हेतु काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और न तो मैं राजस्व शूलक दे पा रहा हूँ।'

राजेन्द्र सिंह द्वारा नया जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल नाजीर का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 'प्रश्नगत भूमि, मौजा- तिलैया, थाना नं० २४४ के खाता सं० ७९७, रकबा- १.०३ ए० रैयती भूमि है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मालगुजारी रसीद में खाता सं० ७९७, रकबा- १.०३ ए० भूमि पंजी II के पृष्ठ सं० १२८/३ पर दर्ज होने का उल्लेख है।'

अंचल अमीन के द्वारा आवेदक की उपस्थिति में स्थानीय जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि प्लॉट नं० ४७६४, रकबा- ०.२१ ए० भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है तथा प्लॉट नं० ४७८१, रकबा- ०.२९ ए० भूमि पर भी खेती की जा रही है। प्लॉट नं० ४५२८, रकबा - ०.३५ ए० भूमि पर अंश में मकान एवं बारी है। प्लॉट नं० ५०६० वो प्लॉट नं० ५२६२ दोनों प्लॉट का रकबा- ०.०२ + ०.०३ कुल ०.०५ एकड़ भूमि पर वर्तमान में परती पाया गया। उपर्युक्त भूमि की जाँच आवेदक की उपस्थिति में किया गया। जिस पर आवेदक एवं इसके हिस्सेदार बालेश्वर सिंह वो शंकर सिंह पिता- स्व० बिशुनधारी सिंह, वो होरिल सिंह पिता- स्व० कुंवर सिंह के द्वारा अपना दखल-कब्जा बताया गया। जाँच के क्रम किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

आवेदक को नोटिस निर्गत कर मूल कागजातों की मांग करें।
अभिलेख दिनांक ...२४.../...०४.../२०१७ को उपस्थापित करें।

१५/०८/२०१७
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

२४.०८.२०१७

अभिलेख उपस्थापित।
आवेदक की ओर श्री नकुल कुमार सिंह, पिता- श्री बालेश्वर सिंह, साकिन- तिलैया बस्ती उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान, सरकारी लगान रसीद सं०- ४११००१ दिनांक ३०.०३.१९८१, शपथ-पत्र सं०- ३८४३ दिनांक ११.०९.२०१७ प्रस्तुत किया गया है।

आम-इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।
अभिलेख दिनांक ...२२.../...०९.../२०१७ को उपस्थापित करें।

२४/०८/२०१७
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

२२.०९.२०१७

अभिलेख उपस्थापित।
आम-इस्तहार का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई दावा/आपत्ति नहीं किया गया है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल नाजीर के प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों तथा शपथपत्र सं०- ३८४३ दिनांक ११.०९.२०१७ के अवलोकन के उपरांत पर मौजा- तिलैया, थाना नं०- २४४ के खाता सं०- ७९७, प्लॉट नं०- ४५२८, रकबा- ०.३५ ए०; प्लॉट नं०- ४७६४, रकबा- ०.२१ ए०; प्लॉट नं०- ४७८१, रकबा- ०.२९ ए०, प्लॉट नं०- ५०६०, रकबा- ०.०२ ए०; प्लॉट नं०- ५२६२, रकबा- ०.०३ ए०, कुल रकबा- ०.९० ए०, माल- २३.९८ रु० की जमाबंदी ऑनलाइन पंजी II में विसुनधारी सिंह वो कुंवर सिंह, पिता- सीटन सिंह के नाम से कायम करने का आदेश निर्गत किया जाता है। अभिलेख में कार्रवाई बंद की जाती है।

२२/०९/२०१७
अंचल अधिकारी,
कोडरमा